रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03082022-237889
CG-DL-E-03082022-237889

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 387] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 3, 2022/श्रावण 12, 1944
No. 387] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 3, 2022/SHRAVANA 12, 1944

भारतीय खाद्य निगम

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 2022

सं. 138

सं. ई.पी.1(4)/2016.—खाद्य निगम अधिनियम, 1964 (1964 का 37वां) की धारा-45 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा केंद्र सरकार की पूर्वानुमति से भारतीय खाद्य निगम (कर्मचारीवृंद) विनियम, 1971 में संशोधन करने के लिए भारतीय खाद्य निगम एतदद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, यथाः-

1. संक्षिप्त शीर्षक तथा आरंभः

(i) ये विनियम, भारतीय खाद्य निगम (कर्मचारीवृंद) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2022 कहलाएंगे।

(ii) ये सरकारी गजट में अधिसूचना की तारीख से लागू होंगे ।

2. परिभाषाः इस विनियम में शब्दों की परिभाषा और उनका अर्थ तथा पदों के पदनाम का अर्थ वही होगा जैसाकि खाद्य निगम अधिनियम,1964 तथा भारतीय खाद्य निगम (कर्मचारीवृंद) विनियम, 1971 में दिया गया है।

3. भारतीय खाद्य निगम (कर्मचारीवृंद) विनियम, 1971 (परिशिष्ट-I) में निम्नलिखित संशोधन किए गए हैः-

(क) भाग-X – विविध संवर्ग

क्रम संख्या 31 में उल्लिखित हिंदी टंकक के पद को हटा दिया जाएगा।

(ख) भाग-XI - राजभाषा संवर्ग

(i) सहायक श्रेणी -II (हिन्दी)

(क) कॉलम संख्या 4 में आए शब्दो के स्थान पर **100% पदोन्नति द्वारा** शब्द रखे जांएगें।

(ख) कॉलम संख्या 6 में आए शब्दों के स्थान पर "सहायक श्रेणी-III (हिंदी) के रूप में 3 वर्ष" शब्द रखे जांएगे।

(ग) कॉलम संख्या 7 में आए शब्द को **शून्य** के रूप में संशोधित किया गया है।

(ii) सहायक श्रेणी- II (हिन्दी) जो कि क्रम संख्या 6 पर है के नीचे सहायक श्रेणी- III (हिन्दी) को क्रम संख्या 7 के रूप में जोड़ा जाता है।

(क) क्रम संख्या 7 के कॉलम संख्या 4 को 100% सीधी भर्ती के रूप में पढ़ा जाए।

(ख) क्रम संख्या 7 के कॉलम संख्या 6 को को **शून्य** पढ़ा जाए।

(ग) क्रम संख्या 7 के कॉलम संख्या 7 को इस प्रकार पढ़ा जाए।

अनिवार्य:-

मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मुख्य विषय हिंदी में स्नातक।

अँग्रेजी में दक्षता विशेष रूप से अनुवाद के लिए।

सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से अँग्रेजी से हिंदी और हिंदी से अँग्रेजी में कम से कम एक वर्षीय अनुवाद में सर्टिफिकेट / डिप्लोमा।

एम.के. गोगोई, सचिव

[विज्ञापन III/4/असा./201/2022-23]

टिप्पणी : मुख्य विनियम भारत के राजपत्र में दिनांक 08.05.1971 की अधिसूचना के माध्यम से प्रकाशित किए गए थे तथा तदनुरूप अंतिम बार निम्न के माध्यम से संशोधित किये गए ।

क्र .सं.	शीर्षक	दिनांक
1.	भा.खा. नि., विनियम (कर्मचारिवृन्द) (पांचवा संशोधन) 2021	08.12.2021
2.	भा.खा. नि., विनियम (कर्मचारिवृन्द) (छठवां संशोधन) 2021	15.12.2021
3.	भा.खा. नि., विनियम (कर्मचारिवृन्द) (सातवाँ संशोधन) 2021	30.12.2021
4.	भा.खा. नि., विनियम (कर्मचारिवृन्द) (प्रथम संशोधन) 2022	24.01.2022
5.	भा.खा. नि., विनियम (कर्मचारिवृन्द) (दूसरा संशोधन) 2022	25.05.2022

FOOD CORPORATION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th July, 2022

No. 138

No. EP.1(4)/2016.—In exercise of the powers conferred by Section 45 of Food Corporations Act, 1964 (37 of 1964) and with the previous sanction of the Central Government, the Food Corporation of India hereby makes the following Regulations further to amend the Food Corporation of India (Staff) Regulations, 1971 namely:-

1. Short Title and Commencement:

(i) These Regulations shall be called the Food Corporation of India (Staff) (Third Amendment) Regulations, 2022.

(ii) These shall come into force from the date of Notification in the Official Gazette.

2. Definitions: The definition and meaning of the words and designation of posts in this Regulation shall have the same meaning as contained in the Food Corporations Act, 1964 and the Food Corporation of India (Staff) Regulations, 1971.

3. **The following amendments are made in Food Corporation of India (Staff) Regulations, 1971 (Appendix-I):**

(A) PART-X – Miscellaneous Cadre

The post of Hindi typist mentioned at Serial Number 31 shall be deleted.

(B) PART-XI – Official Language Cadre

(i) Assistant Grade-II (Hindi)

(a) The word appearing in Column No. 4 is replaced with **100% by promotion**.

(b) The word appearing in Column No. 6 is replaced with **3 years as Assistant Grade-III (Hindi).**

(c) The word appearing in Column No. 7 is modified as **Nil.**

(ii) The post of Assistant Grade-III (Hindi) is added as Serial Number 7 below Serial Number 6 - Assistant Grade-II (Hindi).

(a) Column No. 4 of Serial Number 7 shall be read as **Direct 100%.**

(b) Column No. 6 of Serial Number 7 shall be read as **Nil.**

(c) Column No. 7 of Serial Number 7 shall be read as;

Essentials:-

Degree of a recognized University with Hindi as main subject.

Proficiency in English specifically for the purpose of translation.

Certificate/Diploma course in Translation from English to Hindi and vice versa of at least one year duration from a recognized university/ institution approved by Government.

M. K. GOGOI, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./201/2022-23]

Note : The Principal Regulations were published in the Gazette of India vide Notification dated 8.5.1971 and subsequently have been amended being lastly vide:-

Sl. No	Title	Dated
1	FCI(Staff) (5th Amendment) Regulations, 2021	08.12.2021
2	FCI(Staff) (6th Amendment) Regulations, 2021	15.12.2021
3	FCI(Staff) (7th Amendment) Regulations, 2021	30.12.2021
4	FCI(Staff) (1st Amendment) Regulations, 2022	24.01.2022
5	FCI(Staff) (2nd Amendment) Regulations, 2022	25.05.2022

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2022.08.03 22:19:52 +05'30'